महत्वपूर्ण!

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दू0सं0 0135–2746934 2741461, फैक्स– 2741630, 2741462 ईमेल– pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या– P.O/1272 देहरादून, दिनांक, 24. जून, 2020।

कार्यालय आदेश

यह देखने में आ रहा है कि Social Media में कतिपय Activist **वन विभाग** के विरूद्ध प्रचार–प्रसार करने में निरन्तर लगे रहते हैं! प्रायः **सरकारी विभाग** Social Media में आयी खबरों को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। **वन विभाग** भी इस संबंध में अपवाद नहीं है। यह समझने की बात है कि आज Social Media एक ऐसा सशक्त माध्यम बन चुका है, जो किसी भी विभाग की छवि बनाने अथवा बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है! हाल ही में **वन विभाग** के विरूद्ध वनाग्नि को लेकर Social Media में व्यापक पैमाने पर भ्रामक समाचार प्रसारित किये गये थे जिसके सापेक्ष, अधोहस्ताक्षरी के निर्देशों पर, ऐसे 17 व्यक्तियों/संगठनों के विरूद्ध (उनके नाम का उल्लेख करते हुए) पुलिस में F.I.R. दर्ज करायी गयी थी। अब देखने में यह आ रहा है कि **कुमाऊँ** के वन क्षेत्रों (रामनगर व आस–पास) में अवैध खनन की सूचना Social Media के माध्यम से लगातार प्रसारित हो रही है। **मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ** से इस बारे में बार–बार पूछे जाने पर उनके द्वारा आश्वस्त किया जाता रहा है कि विभागीय कार्मिक मुस्तैदी से अवैध खनन पर नियंत्रण रख रहे हैं।

अतः इस बात को गम्भीरता से लेते हुए कि Social Media आज के दौर में प्रचार–प्रसार का एक सशक्त माध्यम बन गया है, Social Media की handling के लिए निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. Social Media में **उत्तराखण्ड वन विभाग** के संबंध में यदि कोई **आलोचना** किसी भी वन कर्मी के संज्ञान में आती है तो वे कृपया उसे **तत्काल** सम्बन्धित **मुख्य वन संरक्षक** के संज्ञान में लायेंगे।
2. संबंधित **मुख्य वन संरक्षक** विलम्बतम 01 सप्ताह में, सम्बन्धित **वन संरक्षक/निदेशक** या संबंधित **प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक** के माध्यम से उसकी प्राथमिकता पर परीक्षण करवा कर स्वयं आश्वस्त होंगे कि Social Media में विभाग के विरूद्ध जो आलोचना की गयी है वह सही है या नहीं?
3. आलोचना सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित **मुख्य वन संरक्षक** तद्नुसार सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करवा कर Social Media में विभाग की ओर से तद्नुसार विवरण post करवायेंगे।
4. आलोचना निराधार पाये जाने पर संबंधित **मुख्य वन संरक्षक,** प्रकरण में विभागीय दृष्टिकोण को, ठोस तथ्यों के उल्लेख सहित, Social Media में post करवा कर आलोचना का प्रभावी रूप से खण्डन सुनिश्चित करायेंगे। विभागीय रूप से खण्डन करने से पूर्व यथासम्भव सम्बन्धित व्यक्ति/संगठन से सम्पर्क स्थापित कर उसे विनम्रता के साथ, तथ्यों से अवगत कराया जा सकता है और उसको मौके पर ले जा कर वास्तविक स्थिति से भिज्ञ कराये जाने हेतु आमंत्रित भी किया जा सकता है। इसके क्रम में संबंधित व्यक्ति/संगठन से ही अनुरोध किया जा सकता है कि खण्डन भी उन्हीं के स्तर से जारी कर दिया जाये।

5. यदि इस सब के बावजूद भी Social Media Activist, विभाग की छवि बिगाड़ने के लिए प्रयासरत रहता है, तो संबंधित **मुख्य वन संरक्षक** द्वारा उसके विरूद्ध **सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008** की **धारा–66** व **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा–505(1)(b)** के अन्तर्गत पुलिस (संबंधित 'साईबर' थाने) में F.I.R. अनिवार्य रूप से दर्ज़ करवा दी जायगी और F.I.R की एक प्रति **वन मुख्यालय (मुख्य वन संरक्षक, प्रचार–प्रसार)** को भी प्रेषित की जायेगी।

भविष्य में यदि **वन मुख्यालय** के संज्ञान में Social Media में विभाग के विरूद्ध लगातार प्रकाशित हो रहा कोई विवरण आता है, तो **मुख्य वन संरक्षक, प्रचार–प्रसार** का यह दायित्व होगा कि वे इस बात का परीक्षण करेंगे कि संबंधित **मुख्य वन संरक्षक** द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही समय से कर दी गयी या नहीं और तद्नुसार स्थिति से वे अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र अवगत करायेंगे। इस क्रम में **मुख्य वन संरक्षक, प्रचार–प्रसार**, विभागीय facebook-page को भी समुचित रूप से सक्रिय किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये!

24/06/2020
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

संख्या P.O/1272 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड।**
2. **समस्त प्रमुख वन उत्तराखण्ड।**
3. **अपर प्रमुख संरक्षक, प्रशासन, वन्यजीव सुरक्षा व आसूचना, उत्तराखण्ड।**
4. **अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।**
5. **मुख्य वन संरक्षक, प्रचार–प्रसार, उत्तराखण्ड।**
6. **मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ।**
7. **समस्त अन्य वनाधिकारी** (विभागीय 'वैबसाईट' के माध्यम से)।
8. **'गार्ड फाईल'।**

24/06/2020
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।